न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –21/2026 (आव0व0अधि0)
GCMSNO. 2026/102

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म बालाजी मिष्ठान भण्डार इटावा, प्रोपराईटर घनश्याम राठौड पुत्र चेतन राठौड पता केशवपुरा इटावा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–05.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 20.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित विपिन कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी, विशाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षक व तारा प्रेमचंदानी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि हो रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के क्रम में बालाजी मिष्ठान भण्डार इटावा पर मौके पर पहुंचे, मौके पर घनश्याम राठौड पुत्र चेतन राठौड निवासी केशवपुरा इटावा ने स्वयं को उक्त फर्म / दुकान का मालिक होना बताया, जिनकी उपस्थिति में जांच कार्य संपादित किया गया । दुकान परिसर का अवालोकन पर 5 गैस सिलेण्डर दुकान में रखे पाये गये, जिनका व्यावसायिक उपयोग के रूप में नमकीन एवं मिष्ठान आदि बनाते हुये पाया गया । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग के रूप में नमकीन एवं मिष्ठान आदि बनाते हुये पाया गया । उक्त घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के संबंध में फर्म के प्रोप्राइटर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करवाये गये ।
2. मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है । मौके पर 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान इंडेन गैस एजेन्सी कोटा के प्रतिनिधि दिनेश मीणा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया, जिनका कुल अनुमानित मूल्य 12166/– है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	सील्ड / अनसील्ड
1	HPCL	575335	14.2	15.9	30.00	14.1	सील्ड
2	HPCL	157376	14.2	15.8	15.8	00	अनसील्ड
3	HPCL	187369	14.2	15.7	15.7	00	अनसील्ड
4	HPCL	537607	14.2	15.4	15.4	00	अनसील्ड
5	HPCL	048319	14.2	15.5	15.5	00	अनसील्ड
	Total					14.1	

इस प्रकार फर्म बालाजी मिष्ठान भण्डार इटावा के प्रोप्राइटर घनश्याम राठौड पुत्र चेतन राठौड ने घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने चेतन कुमार राठौर, दिलकुश प्रजापत, कमल कुमार बंसल, बबलू , किशना बाई निवासी इटावा की ओर से अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
4. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
5. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि व्यावसायिक दुकानों पर घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध उपयोग पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 20.2.2026 को प्रार्थीगण के घरेलू 5 एच.पी. सिलेण्डरों को चैकिंग टीम द्वारा जब्त कर लिये गये है । एन.वी. गोयल गैस एजेन्सी खातौली की डिलेवरी गाडी से एच.पी. गैस सिलेण्डरों को भरवाने के लिए प्रार्थीगण ने अपने अपने सिलेण्डरों को खातौली मैन रोड से लगवा व्यवसायिक दुकान पर रखे हुये थे, जिन्हें चैकिंग टीम द्वारा व्यवसायिक दुकान पर मिलने के कारण जब्त कर लिये गये तथा सिलेण्डरों के जब्त होने से प्रार्थीगण को अपने घरेलू उपयोग के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है । प्रार्थीगण के घरेलू 5 एचपी गैस सिलेण्डर जो खाली थे जो एन वी गोयल गैस एजेन्सी खातौली जिला कोटा राज. जारी किये गये है जिनका विवरण निम्न है–
   - खाता संख्या 106929 उपभोक्ता का नाम चेतन कुमार राठौर पुत्र घनश्याम जाति राठौर निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   - खाता संख्या 127586 उपभोक्ता का नाम दिलकुश प्रजापत पुत्र श्री घनश्याम जाति कुम्हार निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   - खाता संख्या 100851 उपभोक्ता का नाम कमल कुमार बंसल पुत्र श्री रमेंशचंद जाति महाजन निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   - खाता संख्या 108000 उपभोक्ता का नाम बबलू पुत्र श्री रामकल्याण जाति कुम्हार निवासी जटवाडा हाल निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   - खाता संख्या 123791 उपभोक्ता का नाम किशना बाई पत्नी नरेश जाति कुम्हार निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

   अतः प्रार्थीगण के जब्तशुदा 5 एचपी गैस सिलेण्डरों को प्रार्थीगण की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
6. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर बालाजी मिष्ठान भण्डार के प्रोप्राईटर घनश्याम राठौड के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अलग अलग उपभोक्ताओं के बताये गये है, तथा एन वी गोयल गैस एजेन्सी खातौली की डिलेवरी गाडी से भरवाने के लिए प्रार्थीगण ने अपने अपने सिलेण्डरों को खातौली मेन रोड से लगवा व्यावसायिक व्यावसायिक दुकान पर रखे हुये थे, जिन्हें चैकिंग टीम द्वारा दुकान पर मिलने के कारण जब्त कर लिये जाना बताया है तथा सिलेण्डरों के जब्त होने से अपने घरेलू उपयोग के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना बताया है ।

7. परिणामतः प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर है, तथा अप्रार्थी की दुकान बालाजी मिष्ठान भण्डार से जब्त किये गये है, जबकि अप्रार्थीगण का कथन की उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर गैस एजेन्सी की गाडी आने पर गैस डिलेवरी के लिये रखे हुए थे । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर जब्तशुदा 05 गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वापस सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर संग्रहण नहीं करें । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा